न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 38/2024
जीसीएमएस नं. :– 2024/59

प्रार्थीया :–
संतोष पुत्री सुखाराम पत्नि ओमप्रकाश जाति विश्नोई निवासी जाणीनगर हाल निवास तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– ~~14.02.2024~~ 30.05.2024

"आदेश" दिनांक :

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन ग्राम जॉणीनगर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में आयी हुई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
41	1084/2	0.8899 हैक्टयर	बारानी द्वितीय
	967/1	0.8899 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	कुल खसरा 2	कुल रकबा 1.7798 हैक्टयर	

उक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया का 1/24 वां हिस्सा है प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी के 1/24 वां हिस्सा पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करती आ रही हैं। वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाड़ा करवाया हुआ नही है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित आराजी हैं। प्रार्थीया ने दिनांक 13.02.2024 को हल्का पटवारी से सम्पर्क कर किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु जमाबन्दी नकल चाही इस पर हल्का पटवारी ने बताया कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में श्रवणकी दर्ज हैं। जबकि प्रार्थीया का नाम संतोष हैं इस पर प्रार्थीया ने कहा कि प्रार्थीया का नाम संतोष है तथा प्रार्थीया को बोल चाल भाषा में श्रवणकी नाम से जाना पहचाना जाता है इस पर प्रार्थीया ने जमाबन्दी नकले प्राप्त कर अप्रार्थी से उक्त नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तथा कहा कि प्रार्थीया का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार कार्ड, इत्यादि में नाम संतोष हैं। लेकिन प्रार्थीया को बोलचाल भाषा में श्रवणकी नाम से जाना पहचाना जाता है इसलिए प्रार्थीया का नाम सेवन से त्रुटिवंश श्रवणकी पुत्री श्री सुखाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का नाम संतोष पुत्री

सुखाराम पत्नि ओमप्रकाश है इसलिए दुरूस्ती फरमावें लेकिन अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती श्रीमान न्यायालय हाजा से करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम श्रवणकी पुत्री सुखाराम के स्थान पर दुरूस्त फरमाया जाकर संतोष पुत्री सुखाराम पत्नि ओमप्रकाश दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीया हो प्रार्थीया के हक में अता फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया जो निम्न प्रकार हैं – प्रार्थीया संतोष पुत्री सुखाराम पत्नि ओमप्रकाश जाति विश्नोई सा. तिलवासनी की कृषि भूमि ग्राम जॉणीनगर तहसील पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1084/2 रकबा 0.8899 हैक्टयर, 967/1 रकबा 0.8899 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में श्रवणकी पुत्री सुखाराम अंकन है। हल्का पटवारी चिरढ़ाणी की जांच रिपोर्ट अनुसार श्रवणकी पुत्री सुखाराम व संतोष पुत्री सुखाराम एक ही खातेदार हैं। अतः ग्राम जॉणीनगर के खसरा नम्बर 1084/2, 967/1 में श्रवणकी के स्थान पर संतोष किया जाता हैं तो कोई आपति नही हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पेश जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है ग्राम जाणीनगर के खसरानम्बर 1084/2, 967/1 में दर्ज नाम श्रवणकी के स्थान पर संतोष दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु पृथक से तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 30.05.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी